UPGB010051242026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट,गौतम बुद्ध नगर

जमानत प्रार्थना संख्या– 2030/2026

1.प्रशांत नागर, 2. शिवम पायला, 3. रितिक बनाम राज्य

दिनांक– 23.06.2026

आदेश

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रशांत नागर, शिवम पायला तथा रितिक द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 1438/25 मुकदमा अ०सं०–556/25, अन्तर्गत धारा–115(2),324(4),351(2),352 बी0एन0एस0 व 3(1)द तथा 3(1)ध, 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0एक्ट थाना–सूरजपुर, जिला–गौतमबुद्धनगर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय या उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3. आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि निर्दोष है तथा उक्त अपराध में झूठा एवं रंजिशन फंसाया गया है।उपरोक्त धाराओं से सम्बन्धित कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। वादीगण के साथ न तो कोई मारपीट की गई, न ही गालीगलौज किया गया तथा न ही जातिसूचक शब्दो से अपमानित किया है। आरोप–पत्र न्यायालय में आ चुका है। अतः जमानत प्रदान करने की कृपा करें।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली केस डायरी का सम्यक् अवलोकन किया।

6. अभियोजन कथानक अनुसार वादी विकास द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 21.9.2025 को रोजाना की तरह 11:30 बजे सुबह डिलीवरी आर्डर लेने के लिये गया था। वहां पर आदर्श नागर प्रार्थी को अलग–अलग दूर क्षेत्रों के आर्डर दे रहा था। जब प्रार्थी ने कहा कि मुझे दूर के आर्डर मत दो तो इस बात पर आदर्श नागर ने गालियां दी, जातिसूचक शब्दो से अपमानित किया तथा मारपीट कर चोटें कारित की है। मोबाइल भी तोड दिया।

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

अपराध पंजीकृत कर विवेचना की गई तथा विवेचना उपरान्त आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

7. आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी अंतरिम जमानत पर है। आरोपपत्र न्यायालय में आ चुका है, वह विचारण में सहयोग करने को तैयार है, अतः जमानत प्रदान करने की कृपा करें।

8. अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

9. वादी को नोटिस प्रेषित की गई है परन्तु वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। आवेदक/अभियुक्तगण दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किये गये है। अभियुक्तगण अंतरिम जमानत पर है। आरोपित धारायें 7 वर्ष से अधिक के दण्ड से दण्डनीय नहीं है। सहअभियुक्त आदर्श नागर की जमानत दिनांक 17.10.2025 को स्वीकार हो चुकी है। प्रकरण में आरोप–पत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है, अतः समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण के द्वारा तीस–तीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि का एक–एक प्रतिभू व अंडर टेंकिग न्यायालय में दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है कि–

1. आवेदक/अभियुक्त, प्रत्येक नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगें व दौरान साक्ष्य कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगें।
2. आवेदक/अभियुक्तगण वादी मुकदमा पक्ष पर किसी भी प्रकार से कोई दबाव नहीं बनायेगें और न ही गवाहों को डरायेगें, धमकायेगें तथा विचारण में सहयोग करेगें।

(सोमप्रभा मिश्रा)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर।
आई0डी0 नं0–यूपी–6136

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

Digitally signed by SOMPRABHA MISHRA
Date: 2026.06.25 14:56:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court